

मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन

संताल एक्सप्रेस संचादाता
देवघर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक
यन्हियस के आहान पर भारतीय स्टेट
बैंक प्रशासनाक
कार्यालय, बरमसिया, देवघर के
समक्ष विशाल विरोध प्रदर्शन का
आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में
विरोध रूप से भारतीय स्टेट बैंक के
अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग
लिया और अपने-अपने संगठन के
बैनर तले एकुण होकर अपनी माँगों



श्री श्याम मंदिर में फागुन महोत्सव संपन्न, मक्तों ने सवामणी प्रसाद ग्रहण किया

संताल एक्सप्रेस संचादाता
देवघर। श्री श्याम की तरंग मंडल, द्वारा
आयोजित तीन दिवसीय फागुन महोत्सव का
समाप्ति माहील में हुआ। श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री श्याम के देवघर में जाती-
धोक आरंभित कर भक्ति भाव प्रकट किया।
मंगलवार दोपहर 01 बजे बाबा को सवामणी
भग्न अपर्ण किया गया। इसके साथ ही जिन
भक्तों ने अपने परिवार की ओर से बाबा के
देवघर में सवामणी का प्रसाद अर्पित करने का
संकल्प लिया था, उन्होंने भी भोग समर्पित
किया। इस महोत्सव में शहराविंगों, श्री श्याम
प्रेमियों और प्रभु श्री श्याम में आशा रखने
वाले भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और
किया।



प्रसाद ग्रहण किया। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय
माहील से गुंज उठा। श्री श्याम की तरंग मंडल के
अध्यक्ष और मंत्री ने इस कार्यक्रम के सफल
संचालन में सहायता देने वाले मंडल सदस्यों
विभिन्न संस्थाओं, प्रापान, मीडिया और सभी
श्री श्याम भक्तों का हृदय से आभार व्यक्त
किया।

जिले में 23 से 30 मार्च तक होगा केकेएन स्टेडियम में सरस मेला : डीसी

देवघर संताल एक्सप्रेस। सरस मेला को लेकर राज्यस्तरीय टीम के साथ बैंक का आयोजन समाहणालय सभागांग में किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सरस मेला को लेकर कोई जो बाबा की विभिन्न तैयारियों की बिना राज्यस्तरीय सभागांग में जाती-धोक आरंभित कर भक्ति भाव प्रकट किया। मंगलवार दोपहर 01 बजे बाबा को सवामणी भग्न अपर्ण किया गया। इसके साथ ही जिन भक्तों ने अपने परिवार की ओर से बाबा के देवघर में सवामणी का प्रसाद अर्पित करने का संकल्प लिया था, उन्होंने भी भोग समर्पित किया। इस महोत्सव में शहराविंगों, श्री श्याम प्रेमियों और प्रभु श्री श्याम में आशा रखने वाले भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और
किया।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (उत्पाद शाखा) आदेश

झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या— 141 राँची, दिनांक— 31.03.2022 के नियम 14 के कांडिका के आलोक में होली पर्व 2025 के अवसर पर मुख्य पर्व के दिन दिनांक—14.03.2025 को सम्पूर्ण देवघर जिला के अन्तर्गत (Dry Day) घोषित किया जाता है, तथा सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञापितायाँ यथा देशी / देशी / कम्पोजिट शराब की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार एवं रेस्टरॉन एवं थोक बिक्री केन्द्र अनुज्ञापित परिसर सहित सभी उत्पाद अनुज्ञापित परिसर पूर्णरूप से बन्द रहेगी।

आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

४०/-
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

PR 348303 Deoghar(24-25)D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (जिला विधि शाखा)

सरकारी अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण संबंधी सूचना नियमानुसार लिये जायेंगे। उच्च न्यायालय में अन्यान्य उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते। अधिवक्ता को आवश्यक तथा जिले के बाहर सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल (01) एक पर एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल—02 (दो) पदों की नियुक्ति हेतु इच्छुक सुधारों एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते हैं। सभी प्रकार की शराब की बिक्री एवं उसके सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

४०/-
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

PR 348303 Deoghar(24-25)D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (जिला विधि शाखा)

सरकारी अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण संबंधी सूचना नियमानुसार लिये जायेंगे। उच्च न्यायालय एवं अन्यान्य उच्च न्यायालय में अन्यान्य उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते। अधिवक्ता को आवश्यक तथा जिले के बाहर सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल (01) एक पर एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल—02 (दो) पदों की नियुक्ति हेतु इच्छुक सुधारों एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते हैं। सभी प्रकार की शराब की बिक्री एवं उसके सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

४०/-
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

PR 348303 Deoghar(24-25)D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (जिला विधि शाखा)

सरकारी अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण संबंधी सूचना नियमानुसार लिये जायेंगे। उच्च न्यायालय एवं अन्यान्य उच्च न्यायालय में अन्यान्य उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते। अधिवक्ता को आवश्यक तथा जिले के बाहर सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल (01) एक पर एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल—02 (दो) पदों की नियुक्ति हेतु इच्छुक सुधारों एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते हैं। सभी प्रकार की शराब की बिक्री एवं उसके सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

४०/-
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

PR 348303 Deoghar(24-25)D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (जिला विधि शाखा)

सरकारी अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण संबंधी सूचना नियमानुसार लिये जायेंगे। उच्च न्यायालय एवं अन्यान्य उच्च न्यायालय में अन्यान्य उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते। अधिवक्ता को आवश्यक तथा जिले के बाहर सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल (01) एक पर एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल—02 (दो) पदों की नियुक्ति हेतु इच्छुक सुधारों एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते हैं। सभी प्रकार की शराब की बिक्री एवं उसके सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

४०/-
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

PR 348303 Deoghar(24-25)D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (जिला विधि शाखा)

सरकारी अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण संबंधी सूचना नियमानुसार लिये जायेंगे। उच्च न्यायालय एवं अन्यान्य उच्च न्यायालय में अन्यान्य उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते। अधिवक्ता को आवश्यक तथा जिले के बाहर सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल (01) एक पर एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता हेतु कुल—02 (दो) पदों की नियुक्ति हेतु इच्छुक सुधारों एवं अनुच्छेदिकारी के नाम उनके जावेदार सहित नहीं दिये जाते हैं। सभी प्रकार की शराब की बिक्री एवं उसके सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

४०/-
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

PR 348303 Deoghar(24-25)D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (जिला विधि शाखा)

सरकारी अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण संबंध

